रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 669] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939
No. 669] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 985(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 2 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 559(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 07 जून, 2017 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (आठवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, अनुसूची II में, खंड ड, में पैरा (6) के स्थान, पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः-

"6. विशेषाधिकार.- अनुज्ञप्ति में पृष्ठांकनों और रेटिंगों की विधिमान्यता और इन नियमों के नियम 39ख, नियम 39ग और नियम 42 के सुसंगत उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी एयरलाइन परिवहन पायलट अनुज्ञप्ति के धारक के विशेषाधिकार निम्नलिखित होंगे-

(क) किसी वाणिज्यिक पायलट अनुज्ञप्ति और प्राइवेट पायलट अनुज्ञप्ति के विशेषाधिकारों का प्रयोग करना;

(ख) 5700 किलोग्राम से अधिक संपूर्ण सर्वाधिक भार वाले किसी वायुयान में जो उसकी अनुज्ञप्ति के वायुयान रेटिंग में दर्ज है, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए समादेशक पायलट के रूप में कार्य करनाः-

(i) उसने सह-पायलट के रूप में एक सौ घंटे से अन्यून का उड़ान काल उस प्रकार के विमान पर पूरा किया हो और उसके पश्चात समाधानप्रद रूप में दस लगातार मार्ग जांच किया हो जिसमें से पांच अन्यून जांच किसी समादेशक पायलट के कर्तव्यों और कृत्यों का निष्पादन करने वाले किसी जांच पायलट के पर्यवेक्षण के अधीन रात में किए गए हों और उसने महानिदेशक के समाधानप्रद रूप में समादेशक पायलट के रूप में उड़ान भरने की सक्षमता का प्रदर्शन किया हो;

परंतु यह कि 5700 किलोग्राम से अधिक संपूर्ण भार वाले किसी परिवहन विमान के समादेशक पायलट के रूप में एक सौ घंटे से अन्यून का पूर्व अनुभव होने की दशा में, मार्ग जांच की अपेक्षित संख्या छह तक घटाई जा सकती है जिसमें कम से कम तीन जांच रात में की गई हों।

(ii) उसने महानिदेशक द्वारा अपेक्षित उस वायुयान की किस्म की बाबत समुचित प्रवीणता जांच, आशयित उड़ान से पहले छह मास के भीतर समाधानप्रद रूप में की हो।

(iii) किसी आई एफ आर उड़ान के प्रचालन से पहले उसके पास चालू उपकरण रेटिंग होनी चाहिए।

परंतु यह कि 65 वर्ष की आयु होने पर, ऐसे विशेषाधिकार खंड ङ. के अनुसरण में किसी निजी पायलट अनुज्ञप्ति (वायुयान) तक ही सीमित होंगे।"

[फा. सं. एवी.11012/9/2016-ए]

उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 05 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 30 जून, 2017 की सा.का.नि. सं. 832(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2017

G.S.R. 985(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 559(E), dated the 2nd June, 2017, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be

affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 7th June, 2017;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Eighth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule II, Section M, for para (6), the following shall be substituted, namely:—

"**6. Privileges.—**Subject to the validity of endorsements and ratings in the licence and compliance with the relevant provisions of Rules 39B, 39C and 42 of these rules, the privileges of the holder of an Airline Transport Pilot's Licence shall be—

(a) to exercise the privileges of a Commercial Pilot's Licence and a Private Pilot's Licence;

(b) to act as Pilot-in-Command of an aeroplane having an all-up weight exceeding 5700 Kgs., which is entered in the aircraft rating of his licence, subject to his prior compliance with the following conditions:-

(i) he shall have completed on that type of aeroplane not less than one hundred hours of flight time as a Co-pilot, followed by ten consecutive satisfactory route checks, of which not less than five shall be by night, under the supervision of a Check Pilot performing the duties and responsibilities of a Pilot-in-Command, and demonstrated his competency to fly as a Pilot-in-Command to the satisfaction of the Director-General:

Provided that in case of a pilot having previous experience of at least 100 hours as Pilot-in-Command of transport aeroplanes having all-up weight exceeding 5700 Kgs., the required number of route checks may be reduced to six out of which at least three shall be by night.

(ii) he shall have undergone satisfactorily within the preceding six months of the intended flight, appropriate proficiency checks in respect of that type of aircraft as required by the Director-General.

(iii) he shall be in possession of a current Instrument Rating before operating any IFR flight:

Provided that on the attainment of the age of sixty-five years, such privileges shall be restricted to that of a Private Pilot's Licence (Aeroplanes) in accordance with Section E.""

[F. No. AV.11012/9/2016-A]

UPMA SRIVASTVA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 832(E) dated 30th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 5th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.02 16:33:51 +05'30'